बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती (संशोधन) नियमावली, 2025

अधिसूचना

संख्या–3/मू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे (नियमावली)–20/2024–156(8)/रा0, दिनांक–25/4/25

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 24, 2011) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–28 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्संबंधी बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (यथा संशोधित) नियमावली, 2012 का संशोधन करते हुए निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाती है:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–(1) यह नियमावली "बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2025" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (यथा संशोधित) नियमावली, 2012 के नियम–09 के उप नियम–3 (ख) में उप नियम (iv) के बाद उप नियम–(v) अन्तः स्थापित किया जायेगा:–

"**नियम–9(3)(ख)(v)**:– बदलैन– दो रैयतों के मध्य परस्पर मौखिक सहमति के आधार पर किये गये किसी भू–खण्ड का बदलैन, जो पूर्व से क्रियान्वित हो तथा वर्तमान में दोनों रैयतों का बदलैन की भूमि/भू–खंड पर परस्पर शांतिपूर्ण दखल–कब्जा कायम हो तथा वर्तमान वैद्य दखलकारों द्वारा लिखित में सहमति दी गयी हो।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25/4/25

(दीपक कुमार सिंह),
अपर मुख्य सचिव।

Document In D:\Sanjeev\sec-8\Santosh Jee\Act\Bihr Special Survey 2025\Bihar Special Survey 2025\Bihar Special Survey-2025.docx

Government of Bihar
Revenue and Land Reforms Department.

The Bihar Special Survey and Settlement (Amendment) Rules, 2025

Notification

No-03/Bhu. A. Ni (6) Special Survey (Rule)-20/2024-156(8)Ra. Dated- 25/4/25

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 (Bihar Act 24, 2011) (as amended from time to time), the State Government hereby makes the following Amendment Rules to amend the Bihar Special Survey and Settlement (as amended) Rules, 2012:-

1. Short title, extent and commencement.-
   (1) These rules may be called " The Bihar Special Survey and Settlement (Amendment) Rules, 2025."
   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   (3) It shall come into force from the date of Publication in the Official Gazette.
2. Sub rule (V) shall be added after sub rule (iv) of sub rule 3 (b) of Rule 9 The Bihar Special Survey and Settlement (as Amended) Rules, 2012:-

"Rule 9 (3) (b)(v) :- Exchange- Exchange of a piece of land done on the basis of mutual verbal consent between two land holders (Raiyats) which has been implemented earlier and at present, both the land holders are in mutual peaceful possession on the exchanged land and written consent has been given by the current valid occupants."

By order of the Governor of Bihar,

25/4/2025

(Dipak Kumar Singh)
Additional Chief Secretary.